

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली (राज.)

क्रमांक : स्था./प.43/2019/133

दिनांक: 31.05.19

-:: आदेश ::-

राजस्थान जिला लिपिकवर्गीय स्थापन नियम 1986 यथा संशोधित नियम तथा विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर इस न्यायक्षेत्र के अन्तर्गत पदस्थापित/कार्यरत निम्नांकित लिपिक ग्रेड-II को शरिस्तेदार ग्रेड-III/रीडर ग्रेड-III/लिपिक ग्रेड-I पे-लेवल संख्या-8 के रिक्त पदों पर अस्थाई रूप से तुरन्त प्रभाव से पदोन्नत किया जाता है। कर्मचारीगण की उक्त पदोन्नति उनके इस पद पर कार्यग्रहण/उपस्थिति की दिनांक से प्रभावी होगी :-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी मय वर्तमान धारित पद	पदस्थापन न्यायालय का नाम
01	श्री मनोज कुमार सिंघल लिपिक ग्रेड-II	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश करौली
02	सुश्री पूजा नाम लिपिक ग्रेड-II	अति.सि.न्या. एवं न्या.मजि. संख्या-01 हिण्डौन
03	श्री दिलीप कुमार सोनी लिपिक ग्रेड-II	जिला न्यायालय करौली
04	श्री विष्णु कुमार गुप्ता लिपिक ग्रेड-II	सि.न्या. एवं न्या.मजि. टोडाभीम
05	श्री सत्येन्द्र कुमार गोयल लिपिक ग्रेड-II	सि.न्या. एवं न्या.मजि. हिण्डौन
06	श्री कृष्ण मुखारी गोयल लिपिक ग्रेड-II	जिला न्यायालय-करौली
07	श्री बृजेन्द्र जागा लिपिक ग्रेड-II	व.सि.न्या. एवं अति. मुख्य न्या.मजि. हिण्डौन
08	श्री राजेश कुमार गोयल लिपिक ग्रेड-II	अति.सि.न्या. एवं न्या.मजि. करौली
09	श्री राधेश्याम वर्मा लिपिक ग्रेड-II	व.सि.न्या. एवं मुख्य न्या.मजि. करौली
10	श्री तसलीम हसन लिपिक ग्रेड-II	जिला न्यायालय करौली
11	श्री सौरभ सिंघल लिपिक ग्रेड-II	सि.न्या. एवं न्या.मजि. श्रीमहावीरजी
12	श्री सुनील कुमार शर्मा लिपिक ग्रेड-II	अति.सि.न्या. एवं न्या.मजि. संख्या-01 हिण्डौन
13	श्री लक्ष्मीनारायण मीना लिपिक ग्रेड-II	सि.न्या. एवं न्या.मजि. श्रीमहावीरजी

उपरोक्त कम संख्या 10 से 12 पर अंकित कर्मचारीगण सर्वश्री तसलीम हसन, सौरभ सिंघल एवं सुनील कुमार शर्मा को आगामी विभागीय पदोन्नति समिति की मीटिंग आयोजित होने अथवा अधिकतम 01 वर्ष के लिए तदर्थ आधार पर अस्थायी रूप से पदोन्नत किया जाता है तथा उनकी पदोन्नति लिपिक ग्रेड-II की अंतिम वरिष्ठता सूची के विरुद्ध श्री योगेश कुमार

मुफ्त लिपिक ग्रेड-11, श्री देवेन्द्र चौधरी लिपिक ग्रेड-11 एवं श्री मोहित कुमार शर्मा लिपिक ग्रेड-11 द्वारा माननीय राज0 उच्च न्यायालय में प्रस्तुत रिट पिटीशन/विभागीय अपील में पारित निर्णय के अध्याधीन रहेगी।

कर्मचारी की पदोन्नत पद पर उपस्थिति की तिथि से राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कर्मचारी का नियमानुसार वेतन निर्धारण किया जावे। कर्मचारीगण के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जा रहे हैं।

इसका इन्द्राज कर्मचारी के सेवा अभिलेख में किया जावे।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
करौली (राज0)

दिनांक: 31.05.19

क्रमांक : स्था./प.43/2019/2820-42

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा, जिला न्यायालय, करौली
2. प्रभारी अधिकारी लेखा शाखा (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या 01) हिण्डौन
3. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजि0 करौली
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति0 मुख्य न्यायिक मजि0 हिण्डौन
6. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट हिण्डौन/टोडाभीम/श्रीमहावीरजी
7. अति0 सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट करौली/संख्या-01 हिण्डौन
8. श्री
9. आदेश/निजी/संबन्धित पत्रावली

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
करौली (राज0)

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली (राज.)

क्रमांक : स्था./प.35/2019/182

दिनांक: 31.05.19

-: आदेश :-

राजस्थान जिला लिपिकवर्गीय स्थापन नियम 1986 यथा संशोधित नियम तथा विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर इस न्यायक्षेत्र के अन्तर्गत पदस्थापित/कार्यरत निम्नांकित रीडर ग्रेड-III/लिपिक ग्रेड-I को शरिस्तेदार ग्रेड-II/रीडर ग्रेड-II/कार्यालय सहायक पे-लेवल संख्या-10 के रिक्त पदों पर अस्थाई रूप से तुरन्त प्रभाव से पदोन्नत किया जाता है। कर्मचारीगण की उक्त पदोन्नति उनके इस पद पर कार्यग्रहण/उपस्थिति की दिनांक से प्रभावी होगी :-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी मय वर्तमान धारित पद	पदस्थापन न्यायालय का नाम
01	श्री सुरेश चंद जोशी रीडर ग्रेड-III	अति.व.सि.न्या. एवं अति. मुख्य न्या.मजि. करौली
02	श्रीमती सविता शर्मा रीडर ग्रेड-III	अति.सि.न्या. एवं न्या.मजि. संख्या-01 हिण्डौन सिटी
03	श्री राजेश कुमार शर्मा रीडर ग्रेड-III	सि.न्या. एवं न्या.मजि. करौली
04	श्री राधेश्याम गुप्ता रीडर ग्रेड-III	सि.न्या. एवं न्या.मजि. हिण्डौन
05	श्री राजाराम गुर्जर रीडर ग्रेड-III	ग्राम न्यायालय हिण्डौन
06	श्री जगराम मीना लिपिक ग्रेड-I	जिला न्यायालय-करौली हाल रीडर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण करौली

कर्मचारीगण की पदोन्नत पद पर उपस्थिति की तिथि से राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कर्मचारी का नियमानुसार वेतन निर्धारण किया जावे। कर्मचारीगण के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जा रहे हैं।

इसका इन्द्राज कर्मचारी के सेवा अभिलेख में किया जावे।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
करौली (राज0)

क्रमांक : स्था./प.35/2019/2867-19

दिनांक: 31.05.19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा, जिला न्यायालय, करौली
2. प्रभारी अधिकारी लेखा शाखा (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या 01) हिण्डौन
3. अति० चरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति० मुख्य न्यायिक मजि० करौली
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट करौली/हिण्डौन
5. अति० सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-01 हिण्डौन
6. न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय हिण्डौन
7. श्री

8. आदेश/निजी/संबंधित पत्रावली

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
करौली (राज0)

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली (राज.)

क्रमांक : स्था./प.35/2019/131

दिनांक: 31.05.19

-:: आदेश ::-

राजस्थान जिला लिपिकवर्गीय स्थापन नियम 1986 यथा संशोधित नियम तथा विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर इस न्यायक्षेत्र के अन्तर्गत पदस्थापित/कार्यरत निम्नांकित रीडर ग्रेड-II को शरिस्तेदार ग्रेड-I/रीडर ग्रेड-I पे-लेवल संख्या-11 के रिक्त पदों पर अस्थाई रूप से तुरन्त प्रभाव से पदोन्नत किया जाता है। कर्मचारीगण की उक्त पदोन्नति उनके इस पद पर कार्यग्रहण/उपस्थिति की दिनांक से प्रभावी होगी :-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी मय वर्तमान धारित पद	पदस्थापन न्यायालय का नाम
01	श्री कबीरूल हसन रीडर ग्रेड-II	विशिष्ट न्यायालय, पॉक्सो अधिनियम, करौली
02	श्री शिवदत्त शर्मा रीडर ग्रेड-II	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति० मुख्य न्यायिक मजि० हिण्डौन

कर्मचारीगण की पदोन्नत पद पर उपस्थिति की तिथि से राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कर्मचारी का नियमानुसार वेतन निर्धारण किया जावे। कर्मचारीगण के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जा रहे हैं।

इसका इन्द्राज कर्मचारी के सेवा अभिलेख में किया जावे।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
करौली (राज०)

दिनांक 31.05.19

क्रमांक : स्था./प.35/2019/2801-86

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम-करौली
 2. प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा, जिला न्यायालय, करौली
 3. प्रभारी अधिकारी लेखा शाखा (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या 01) हिण्डौन
 4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति० मुख्य न्यायिक मजि० हिण्डौन
 5. श्री कबीरूल हसन, रीडर ग्रेड-II विशिष्ट न्या० पॉक्सो अधिनियम करौली
 6. श्री शिवदत्त शर्मा, रीडर ग्रेड-II न्या. व.सि.न्या.एवं अति.मु.न्या.मजि. हिण्डौन
- आदेश/निर्जी/संबन्धित पत्रावली

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
करौली (राज०)